of accepting it. As a Member of Parliament and especially belonging to this side of the House, I do not want to embarrass the Government and embarrass myself and I would, therefore, seek the leave of the House to withdraw the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: I have been waiting for it since long. Has the hon. Member leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Insertion of New Section 427A)

Mr. Deputy-Speaker: We will now take up the next Bill. Shri Keshava is not here and he has not also got the recommendation that was required from the President. So, that cannot be moved. Shri Raghunath Singh will move his Bill.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): What is the time allotted for this Bill?

Mr. Deputy-Speaker: One and a half hours.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860, be taken into consideration."

इंडियन पीनल कोड की दफ़ा ४२५ में "मिसचिफ़" की—जिस का उर्दू अनुवाद "शरारत" है—परिभाषा दी हुई है। दफा ४२६ और ४२७ उसी से सम्बन्ध रखती है। उन में संशोधन करने के लिए मैंने अपना यह विधेयक उपस्थित किया है। जहां तक दफा ४२६ का सम्बन्ध है, उस के अधीन आने वाला मामला वारन्ट केस और कागनीज़ेबल नहीं है। उस में जुर्म करने वाले के लिए तीन महीने की सज़ा रखी गई है। दफ़ा ४२७ में ७ वर्ष की सजा रखी गई है। लेकिन वारन्ट केस वह भी नहीं है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे देश में फूडका बहुत शार्टेज है। चारों तरफ़ यह कहा जाता है कि अन्न का उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसी अवस्था में अन्न उत्पादन करने वाले काश्तकार लोगों की रक्षा का भी कोई प्रबन्ध होना चाहिए। दफ़ा ४२७ के अनुसार अगर पचास रुपए तक का डेमेज हुआ हो, तो केस उस दफ़ा में आ सकता है। दो वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर पचास रुपए से कम की मालियत है, तो दफ़ा ४२६ के अन्दर तीन महीने तक की सज़ा हो सकती है। वह केस समन केस होगा। मैं आप के सामने यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब से गांवों में पंचायत और इलैक्शन वग़ैरह के सवाल खड़े हुए हैं, तब से यह देखने में आया है कि पारस्परिक द्वेष—एनमिटी—के कारण लोग खड़ी की खड़ी खेती को काट लेते हैं। मान लीजिए कि एक काश्तकार का एक बीघे का खेत है। उस में कम से कम चालीस मन गेहूं हो सकता है। एक आदमी रंजिश की वजह से रात को उस की सारी फसल को काट लेता है। अगर वह एक महीने की फ़सल है, तो काटने वाला उस को ज्यादा से ज्यादा पांच दस रुपए में घास के रूप में बेच सकता है। हालांकि काश्तकार उस में से चालीस मन गेहूं पैदा कर सकता था, जो कि हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति होती। इस प्रकार के केसिज़ गांवों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आज जब कि सरकार की तरफ़ से सिंचाई का बहुत प्रबन्ध हो रहा है। नहरों की व्यवस्था की जा रही है। ट्यूबवैल्ज़ लगाए जा रहे हैं। इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो, तो उस के साथ ही साथ इस बात पर भी ज़ोर देना चाहिए कि जो लोग अन्न के उत्पादन में बाधक हों, उन को काफ़ी दंड मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शत्रुता के कारण किसी गरीब काश्तकार की फ़सल काट लेता है, तो उस बिचारे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अदालत में जा कर फ़रियाद कर सके। इसी कारण इस प्रकार के केसिज़ दिन प्रति दिन ज्यादा होते जा रहे हैं। मेरे इस

[श्री रघुनाथ सिंह]

विधेयक का उद्देश्य यह है कि एक नई दफा ४२७-ए रख कर इस की सजा दो वर्ष तक और डैमेज की रकम दस रुपए निर्धारित कर दी जाय । अगर इस वक्त कोई मेरा खेत काट लेता है, तो मेरे पास केवल एक रेमेडी है कि मैं दफा ४२६ के अन्दर अदालत में इस्तगासा दायर कर दूं । प्राईवेट कम्पलेंट कर दूं । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्राईवेट कम्पलेंट की क्या अवस्था होती है । खास तौर पर उस दशा में जब कि गरीब काश्तकार के पास पैसा नहीं होता । उस के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वह रोज आ कर अपने मुकदमे की पैरवी कर सके । दफा ४२६ और ४२७ के मुकदमे ज्यादातर आनरेरी मेजिस्ट्रेट्स के द्वारा होते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अब तो पंचायतें भी करती हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : जी हां । मैं इन मुकदमों को पंचायतों से इस लिए हटाना चाहता हूं कि आजकल गांवों में पार्टीबाजी बहुत बढ़ गई है । मान लीजिए कि एक गांव में पंचायत को इस विषय का कोई केस भेजा गया । गांव में दो पार्टियां हैं—सरपंच अदालत एक पार्टी का है और बिचारा काश्तकार, जिस की खेती काट ली गई है, दूसरी पार्टी का है । इस अवस्था में उस काश्तकार को वहां से न्याय नहीं मिल सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इलैक्शन्ज के कारण—वे इलैक्शन्ज चाहे पंचायत के हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हों या असेम्बली या पार्लियामेंट के हों—दो तीन पार्टियां न बन गई हों । इस प्रकार की परिस्थितियों में पंचायत अदालत से किसी गरीब काश्तकार को न्याय नहीं मिल सकता है । मैं ने यह संशोधन इस लिए उपस्थित किया है कि कम से कम ऐसा केस कागनीजेबल हो जाय और दो वर्ष की सजा मुकर्रर हो जाय और इस प्रकार वह पंचायत की जूरिसडिक्शन से बाहर हो जाय । इस तरह गरीब काश्तकार को कुछ न कुछ रैमेडी प्राप्त हो सकती है । मैं जानता हूं कि इस बिल में कागनीजेबल केस के लिए कोई संशोधन नहीं हो सकता है । इस सम्बन्ध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन तभी हो सकता है, अगर इंडियन पीनल कोड में संशोधन हो जाय ।

Shri V. P. Nayar (Quilon): May I ask for an information? The hon. Mover's idea seems to be that it is felt that there is a great incidence of destruction of crops in various States and so he wants to amend a particular penal provision. I would like to know whether he knows about any particular State having recorded increased crop destruction to warrant an amendment of the Penal Code like this. What is the total value of the crop destroyed in any State? I want this information so that we can apply our minds and come to the conclusion that the Penal Code requires an immediate revision.

श्री रघुनाथ सिंह : इस विषय में मैं कोई आंकड़े इस लिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि जिन सूबों में पंचायत अदालतें कायम हुई हैं, उन सूबों में कहीं भी ऐसे आंकड़े एकत्रित किए गए हैं । फिर भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर—मैं फौजदारी का वकील हूं—मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में चरीदा और फसल काटने के केसिज की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है । मान लीजिए कि किसी को एक किसान से कहा सुनी हो गई, तो उस ने मूंछों पर ताव दिया और कहा कि तुम को देख लेंगे और रात को उस की खड़ी फसल काट ली । इस प्रकार की घटनायें बहुत हो रही हैं । आप देखिए कि बिचारा किसान धूप में बोता है, पानी देता है और काम करता है, लेकिन एक ही रात में उस की खेती खत्म कर दी जाती है । अगर अदालत पंचायत के लोग—सरपंच महाशय—दूसरी पार्टी के हुए, तो उस को न्याय नहीं मिल सकता है ।

बल्कि अगर वह इस्तग़ासा दाखिल करता है, तो वह खारिज कर दिया जाता है। अगर वह अदालत में जाय, तो पाच रुपए मुख्तार या वकील साहब को दे, एक रुपया मुहर्रिर को दे, पेशकार को भी नाजायज तौर पर कुछ दे और आठ आने टाइप कराने के दे। इस प्रकार अगर वह दस रुपए के नुक्सान के लिए सात आठ रुपए खर्च करे, तो इस्तगासा कायम होगा और फिर वह थानेदार के पास जाय और कहे कि हमारा सम्मन निकला है, बराय मेहरबानी इस को तामील करा दीजिए। अगर थाना और सिपाही उस के खिलाफ़ हुए, तो एक दो वर्ष तक सम्मन तामील नहीं हो सकता है। इस लिए मैं कहता हूं कि जैसे दफा ४२८ से ४३७ तक के अधीन मिसचिफ के केसिज रखे गये हैं, जैसे कि उन सैक्शंस के अधीन आने वाले केसिस को वारेंट केस किया गया है, कागनाइजेबल किया गया है, उसी प्रकार से इसको भी कागनाइजेबल और वारेंट केस अगर किया जाएगा तो काश्तकारों को कुछ सुविधा मिल सकती है। अगर आज हमारा खेत काट लिया जाता है तो इसका इतना ही मतलब नहीं है कि हमारा नुक्सान हुआ है बल्कि इसका मतलब वह भी है कि हिन्दुस्तान की सम्पत्ति का नाश हुआ है, जो चालीस मन गेहू हिन्दुस्तान के लोगों के खाने के वास्ते इस्तेमाल हो सकता था उस गेहू को नष्ट किया गया है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हू कि जिस प्रकार दफा ४२८ में यह कहा गया है कि अगर कोई किसी जानवर को मारता है जिसका मूल्य दस रुपये है, तो वह एक वारेंट केस बन जाता है। उसके लिए दो बरस की सजा रखी गई है। उस केस को कागनाइजेबल केस बनाया गया है, उसी प्रकार से जब एक दो या तीन बीघा में जो काश्त की गई है, उसको अगर कोई काट लेता है तो उसका आपराधिक महत्व जानवर से कहीं अधिक है। उसको भी वारेंट केस किया जाय। उसको भी एक कागनाइजेबल केस बनाया जाय। एक दस रुपये के जानवर के मारे जाने पर दो बरस की सजा दी जाती है तो भारत की सम्पत्ति, राष्ट्र की सम्पत्ति के नाश के वास्ते भी उसी के समान कानून बनाना चाहिए।

दफा ४२९ में कहते हैं कि अगर कोई ५० रुपये के किसी जानवर को मार दे तो उसको दस बरस की सजा हो सकती है। और इसको भी वारेंट केस तथा कागनाइजेबल केस माना है। मैं कहना चाहता हूं कि जब पचास रुपये के जानवर के लिए आप दस बरस कैद का कानून बनाते हैं तो जब पाच सौ या छः सौ रुपये की राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुक्सान कोई कर देता है तो उसको भी आपको माकूल सजा दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये और इस प्रकार के केसिस को भी आपको वारेंट केसिस तथा कागनाइजेबल केसिस मानना चाहिए।

इसी प्रकार से दफा ४३० में कहते हैं कि अगर कोई वाटर कोर्स को डाइवर्ट कर देता है तो वह भी वारेंट केस है। ४३१ में जो रोड है, जो सडक है, उसको अगर कोई किसी प्रकार से खोद देता है तो वह भी वारेंट केस हो जाता है। ४३२ में अगर पानी जा रहा है, उसको कोई रोक देता है तो उसको वारेंट और कागनाइजेबल केस मानते हैं। ४३४ में कहा गया है कि जो लैंड मार्क्स होते हैं, जोकि खेत के डाडे होते हैं, पत्थर गाड़ा जाता है, उसे क्षति पहुचाने पर वह भी कागनाइजेबल केस हो जाता है। ये सारे केस कागनाइजेबल तथा वारेंट केसिस हो सकते हैं, तो यह जो खेती को नष्ट करने की बात है जिसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सारा हिन्दुस्तान प्रयत्नशील है, हर कोई कहता है कि अन्न के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी आपको कोई सख्त कानून बनाना होगा। केवल इतना कह देने से कि अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिए, खेती की पैदावार बढ़नी चाहिए, उत्पादन बढ़ नहीं सकता है। इसको बढ़ाने के लिए आपको

[श्री रघुनाथ सिंह]

जो बाधायें है उनको दूर करना होगा । अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए आप आजकल नहरें बनवा रहे हैं, ट्यूबवैल लगवा रहे हैं, पानी खेतों को देने का प्रबन्ध कर रहे है, लेकिन अगर इस सब को करने के बाद भी जो अपराधी है, जो चोरी चोरी खेत को काट कर चले जाते है, किसी रंजिश के कारण या किसी दूसरे कारण से, या अपराधी भावना के कारण, तो उनके लिए भी आपको सख्त सजा रखनी होगी और ऐसे केसिस को आपको वारेट तथा कागनाइजेबल केसिस मानना होगा । ऐसे लोग किसी व्यक्ति विशेष का ही नुक्सान नही करते है बल्कि देश का नुक्सान करते है उस व्यक्ति की रक्षा करना देश के प्रति अपराध करना है । राष्ट्र के विरोध करना है । ऐसे लोग देश और राष्ट्र के शत्रु है । उनको माकूल सजा मिलनी ही चाहिये ।

इस उद्देश्य को सामने रखते हुए मैंने यह विधेयक आपके सम्मुख उपस्थित किया है । मैंने अपने विधेयक में यह चाहा है कि ऐसे केसिस को वारेट केसिस बनाया जाए, कागनाइजेबल केसिस बनाया जाए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु मैंने नया सब-सैक्शन ४२७-ए के जोडे जाने की माग की है । यह एक बहुत छोटा सा एमेंडमेंट है । इस में मैंने यह कहा है कि क्राप्स टू दी एमाउंट आफ १० रुपीज और अपवर्डस का अगर कोई नाश करे तो उसको कम से कम दो बरस की सजा होनी चाहिए ।

मैं आशा करता हू कि इस विधेयक के महत्व को देखते हुए यह सदन इसे पास करेगा और मै चाहता हूं कि सरकार भी इस विधेयक का समर्थन करे । मै यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे जो एग्रिकलचर के मिनिस्टर साहब है, उनकी सहायता करने के लिए भी मैंने इस विधेयक को उपस्थित किया है । आज वह इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि खेती की पैदावार अधिक हो और मेरा विधेयक इस लक्ष्य की पूर्ति की ओर सहायक हो सकता है । आज हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड रहा है और सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम अनाज का आयात न करें । आज हम फारेन एक्सचेंज के लिए भी बहुत चिंतित हैं और फारेन एक्सचेंज बचाने का हम हर सम्भव प्रयत्न भी कर रहे हैं । फसल की रक्षा करके हम विदेशों से अनाज के आयात को कम कर सकते है और फारेन एक्सचेंज बचा सकते हैं । इस दृष्टिकोण से भी मैं कहता हूं कि इस विधेयक को एकमत होकर पास कर देना चाहिए ।

Shri Tangamani (Madurai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the amendment sought to be made in the Indian Penal Code by adding to the existing section 427. In the Statement of Objects and Reasons it is mentioned that the crime of cutting crops has increased in various States and the aim is that in case of crops worth Rs. 10 and upwards the police may be empowered to take cognizance etc. Further, it is said that this will give encouragement to farmers striving for more production with properties extending over different areas and villages.

But, I am afraid, by this amendment the purpose which the hon. Member seeks to achieve is not going to be achieved.

I may be permitted to say, at the outset, something about Chapter XVII of the Indian Penal Code. Chapter XVII deals with various offences against property. There has been a certain gradation also as to the severity of the offences and their punishment. Sections 378 to 382 deal mostly with theft, robbery etc. That is the first type of protection which it seeks to give to owners of property. My friend was saying that foodgrains are stolen. If they are stolen they will always come under the mischief of any one of these sections. In an aggravated form we have extortion, and a still more aggravated form is dacoity. From sections 403 to 404 we have criminal misappropriation of property, criminal breach of trust, receiving stolen property, cheating, fraudulence,

deposition of property etc. Sections 425 to 440 are under the heading 'Mischief'. By mischief they do not want to include certain aggressive types of offences, and mischief in section 425 is defined as follows:

> "Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof, destroys or diminishes its value or the utility or affects it injuriously, commits "mischief"."

It is very clear. Under the explanation, they also make it clear that even if it is never his intention to cause wrongful loss the mischief also can be committed by him against the property belonging to him also. That is the way the Government seeks to prevent this mischief.

Having defined mischief under section 425, my hon. friend will find that section 426 gives protection to those people, for articles stolen or removed, and which are below, a certain value.

Shri Raghunath Singh: Not stolen. It will come under section 411.

Shri Tangamani: He is trying to bring a certain amendment to this. I have to make this point clear. Coming to the section proper,—section 427 reads as follows:

> "Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of Rs. 50 or upwards, shall be punished with imprisonment of either description over a term which may extend to two years, or with fine or with both".

This Act was passed nearly 100 years ago when the legislators thought that they must fix a certain type of punishment where the person is deprived of property or damage to the amount of Rs. 50. Today, I can well understand if my hon. friend had brought an amendment saying that the cost has gone up and that Rs. 50 is very little. The damage of Rs. 50 which they fixed in those days must really come to a damage of Rs. 200 now. In that case, I can understand it, but here, the amendment which he now tries to bring in is even for small petty offences which are not aggravated mischief, because later on, as we proceed further, we have got the aggravated form of mischief also by way of arson or arson through explosives, mischief to the vessels, etc.

In the earlier part of his speech, my friend was really making fun of certain things such as the mischief by killing or maiming an animal, elephant or horse, or mischief by diminution of water supply. He looked upon this mischief as one of aggravated mischief and said that this particular aspect has not been brought in. But the framers of the original Act had done a fine piece of work. By gradation, it is being developed. So, now, in between section 427 and the next section, if my hon. friend is seeking to do this, my fear is this. I have dealt with the legal aspect of it and from that aspect, this measure will be highly inexpedient to be introduced.

There is the other aspect also. If there are thefts of food products, there is the way that the law provides. The law can deal with it, but it is likely to be abused. There may be small peasants or tenants in the adjoining lands and the landlord will be given additional powers so as to bring the law into operation. So, it is made a cognizable offence; if it is made an offence where the person can be arrested without warrant and subsequently let off, even the poor peasants, the tenants or the agricultural labourers will be brought within the mischief of this section, because there is already a lot of mischief done under this section, and the proposed measure will add to the mischief. Thus, I am afraid that the small peasants or the agricultural labourers who are eking out their livelihood in an honest way will also be brought to book. That is the first objection of mine.

[Shri Tangamani]

My second objection is this. In our parts, there is what is called the *kudiyiruppu*. There may be an agricultural labourer who does his work in some other field. But an agricultural labourer is given a small plot of land for erecting his hut in that *kudiyiruppu*, and if a particular landlord feels—because he has agricultural labourers who have got their *kudiyiruppu* in that particular area and who are able to mobilise a number of agricultural labourers—and takes into his head that he must evict the agricultural labourers, this measure will pave another way,—it will be another easy move—to bring in the police to evict the people. This is another easy move for the police to come into the picture

I can tell my hon. friend that so many sections are there for protecting private property. So, in these days, the concept is changing I think probably when the Law Commission considers the question of criminal jurisprudence also, this matter will come into the picture Today, the concept of private property is gradually changing The State is coming more and more into the picture and protecting the rights of the citizen rather than the right of property. In the taking over of property, more and more powers are being taken by the State, and when the State gives adequate compensation, sometimes even inadequate compensation, the owner of a property has got to be satisfied with that. That is the trend in which modern society is going. So, instead of decreasing or diminishing the penal provisions of the law, my friend, I am afraid, is seeking to enlarge the scope.

For these reasons, I do not agree not only with the objects of the Bill but the very spirit of the amendment itself. So, I am opposing this Bill which seems to amend the Indian Penal Code by the addition of another section—section 427A.

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय की भावना का स्वागत करते हुए भी यह विधेयक जिस रूप में सदन के सामने उपस्थित है, मैं उसका समर्थन नहीं करता । मैं इससे इंकार नहीं करता कि विधेयक की भावनाएं बहुत अच्छी है कि देश में खेतीबाडी बढ़े और कोई किसी की खेती काट न पाये और यह ठीक ही है कि हमारे देश में अन्न के उत्पादन में कोई बाधा न पड़े । मैं उनकी इस भावना की कद्र करता हू कि कृषि किसी व्यक्ति विशेष की प्रापरटी न होकर राष्ट्र की सम्पत्ति है और राष्ट्र का भविष्य इसकी उन्नति पर निर्भर करता है और इस लिए इसकी पूरी तौर से हिफाजत होनी चाहिए । अगर किसी की प्राइवेट प्रापरटी को भी क्षति पहुचती है तो भी वह राष्ट्र की क्षति है और इसमे प्राइवेट प्रापरटी और पबलिक प्रापरटी का कोई सवाल नही है और चाहे वह स्टेट की हो या व्यक्ति विशेष की हर हालत मे हमें खेती की और चराई की रक्षा करनी चाहिए ।

प्रस्तावक महोदय जो विधेयक लाये हैं वह मेरे दृष्टिकोण से ४२७ के विरोध में है और इडियन पैनेल कोड की धारा ४२७ में जो ५० रुपये जुर्माने की और सजा की इस तरह की मिसचिफ के लिए व्यवस्था है, उसी चीज को आप अपने न्यू सेक्शन ४२७ में लाना चाहते हैं । सेक्शन ४२७ में अगर किसी व्यक्ति की ५० रुपये के ऊपर की सम्पत्ति का नुकसान हो तो उसके लिए दो वर्ष की सजा भी है । प्रस्तावक महोदय अपने अमेंडिंग बिल द्वारा उस ५० रुपये के स्थान पर १० रु ए रखना चाहते हैं, अब दफा ४२७ भी रहे और ४२७ ए भी आप वहां पर इसर्ट कर दें तो वह एक दूसरे के विरोध में हो जायेगी । ४२७ में तो यह दिया हुआ है कि ५० रुपये की सम्पत्ति का नुकसान होने पर दो वर्ष की सजा हो और आप अपने न्यू सेक्शन ४२७ ए में यह कहते हैं :

"Nothwithstanding anything contained in Section 427, wherever commits mischief and thereby causes loss or damage in respect of crops to the amount of ten rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of

either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."

अर्थात् अगर १० रुपये की लागत की क्रोप चोरी हो जाय या डेमेज हो जाय तो भी वही दो वर्ष की सजा हो । इस तरह आप देखेंगे कि यह दोनो सेक्शन कुछ परस्पर विरोधी हो जाते है क्योंकि एक में ५० रुपये की सम्पत्ति आती है और दूसरे में १० रुपये की सम्पत्ति आती है और हो सकता है कि आगे चलकर इसमें कोई वैधानिक आपत्ति भी उठाई जा सकती है कि यह जायज है अथवा नाजायज है । इस लिए मै प्रस्तावक महोदय से यही कहूंगा कि वे अपने इस अमेंडमेंट बिल को वापिस ले ले और अगर उनका इरादा है कि एग्रीकलचरल क्रोप की कीमत ५० रुपये से घटा करके १० रुपये कर दें तो वह कर सकते हैं । इंडियन पेनेल कोड की धारा ४२८ में यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति १० रुपये से ऊपर का किसी जानवर को नुकसान पहुँचाता है तो उसको दो वर्ष की सजा हो सकती है और वह कौग्नजेबुल ऑफेंस हो जाता है और वारेंट केस हो जाता है और उसमे पुलिस इंटरवेंशन हो जाता है । इसके लिए आपको जाब्ता फ़ौजदारी के क़ानून मे भी अमेंडमेंट करना होगा और अगर गवर्नमेंट यह मुनासिब समझती है कि इस तरह का संशोधन होना चाहिए तो ५० का २५ कर दे अथवा और कम कर दें और १० रुपये कर दें जैसा भी उनको उचित जान पड़े और उसके साथ ही जाब्ता फ़ौजदारी क़ानून मे भी आवश्यक संशोधन होना चाहिए, दोनों में एकरूपता जरूरी है, और अगर एक कानून का रूप दूसरा हो और दूसरे क़ानून का उससे भिन्न तो यह काम नही चल सकता । अगर जाब्ता फ़ौजदारी में इस संशोधन को न जोड़ा जाय तो यह बेकार हो जायगा ।

इंडियन पैनेल कोड मे ४२५ से लेकर ४३५ तक जितनी दफ़ाऐं हैं उनमें केवल ४२७ और ४३४ को पुलिस के जुरिसडिक्शन से बाहर रक्खा गया है बाकी सब में पुलिस को इंटरवीन करने का अधिकार है । ४२६ में भी पुलिस को अधिकार नहीं है । बाक़ी सब कौग्नजेबुल हैं । ४२६ में होने वाली मिसचिफ़ के लिए पंचायत को फ़ैसला करने का अधिकार दिया गया है । अब मेरे भाई श्री रघुनाथ सिंह ने जो यह कहा है कि पंचायतें सारी की सारी एक दम खराब हैं और इस कारण वे उनको इसका अधिकार नही देना चाहते और इस ऑफेंस को कौग्नजेबुल बना कर पुलिस को इंटरवीन करने का अधिकार देना चाहते हैं, तो मै उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हू कि मैं उनके इस विचार से सहमत नही हूं कि तमाम पंचायते एक दम खराब हैं । अब इस सदन मे बार बार इस बात को दुहराया जा चुका है कि हम इस देश मे कोआपरेटिव सिस्टम की खेती करना चाहते हैं,अपने कृषकों में सहकारिता का भाव लाना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमारी पंचायतें बहुत कुछ कर सकती है और यह जरूरी नही है कि पंचायतो को जो न्याय करने का अधिकार मिला हुआ है उसका वे हमेशा ग़लत इस्तेमाल करेंगी, अगर उनको ठीक ढग पर चलाया जाय तो वे अपने इस अधिकार का सदुपयोग भी कर सकती हैं । जहा तक पचायतो द्वारा अपने अधिकारो का दुरुपयोग करने का सम्बन्ध है तो मेरा कहना है कि क्या मजिस्ट्रेटो के वहा सदैव जनता को न्याय ही मिलता है ? मजिस्ट्रेटों की अदालतो मे भी हमने देखा है कि वहा पर कही पार्टीबंदी है, कही कही रुपया चलता है और इस तरह वहा पर भी गड़बड़ चलती है । इस लिए यह मान कर चलना कि छोटे आदमी न्याय नही कर सकते और बड़े आदमी अन्याय नही कर सकते, ठीक नही होगा । मेरे विचार में हमें पचायतो के अधिकारो पर कुठाराघात नही करना चाहिए । यह बात जरूर है कि पंचायतों में जो सरपंच और पंच होते हैं वे अनपढ़ होते हैं और जो सेक्रेटरी लिख देता है वह उस पर अपना दस्तखत करके फ़ैसला दे देते हैं और वे यह भी नहीं समझते कि क्या फ़ैसला वह सुना रहे हैं । अब इसके लिए आप

[श्री सिंहासन सिंह]

उचित व्यवस्था कर सकते हैं कि पंचायतों के जो पंच अथवा सरपंच हों वे योग्य व्यक्ति हों और पढ़े लिखे हों, ताकि वे अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकें । पंचायतें बिल्कुल एक दम बुरी हैं, ऐसी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि पंचायतें बहुत स्थानों पर ठीक तरीके से काम कर रही है और उन्होंने चराई और कटाई बंद कर दी है ।

मैं मूवर महोदय से फिर कहूँगा कि दफ़ा ४२७ के रहते हुए यह ४२७ ए कुछ मुनासिब नहीं लगती और अगर उनको तरमीम करनी है तो ४२७ में ५० रुपये के बजाय १० या १५ रुपये कर देने से उनका काम चल जायगा । अगर इस ओफेंस को पुलिस के अंडर देना है तो जाब्ता फ़ौजदारी क़ानून में भी संशोधन करना होगा । अब जहां तक पुलिस को इसके अंदर लाने की बात है तो पुलिस किस तरह काम करती है यह सब को मालूम है । लोगों को पुलिस पर विश्वास भी है और अविश्वास भी है । अभी जैसे एक भाई ने यह डर प्रकट किया और मैं उनसे सहमत हूं कि कहीं पर कटाई का जुर्म हो जाने पर पुलिस दो चार आदमियों को पकड़ कर जुल्म कर सकती है और १० रुपये का नुकसान होने पर उनको डरा धमका कर और मार पीट कर १००, १५० रुपये वसूल कर सकती है ।इस लिये हमको यह भी सोचना है कि ऐसी छोटी मोटी बातों में पुलिस को अधिकार देना उचित होगा या अनुचित क्योंकि पुलिस हमारी उतनी अच्छी और बुराइयों से खाली नहीं है जितनी कि हम उसको देखना चाहते हैं । यह बात नहीं है कि हमारी पंचायतों में ही तमाम बुराइयां हैं और पुलिस में बुराइयां नहीं है, पुलिस में भी बुराइयां घर किये हुए हैं ।

अन्त में मैं अपने प्रस्तावक महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन विधेयक को वापिस ले लें । वैसे भी यह हमारा अनुभव रहा है कि सरकार द्वारा आम तौर पर प्राइवेट मेम्बर्स के बिलों को स्वीकार नहीं किया जाता है और इस वर्तमान विधेयक का भी मैं समझता हूं सरकार की ओर से विरोध होगा, और इस लिए मैं चाहूंगा कि विरोध होने के पहले ही अगर यह प्रस्तावक महोदय द्वारा वापिस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि सरकारे के द्वारा विरोध प्रकट करने के बाद देश में एक अच्छी हवा नहीं बनती और इस लिए मेरी प्रार्थना है कि अगर वह अपना संशोधन विधेयक वापिस ले लें तो ठीक होगा ।

Shri Achar (Mangalore): Sir, I oppose this Bill seeking to amend the Indian Penal Code. Firstly, I would like to mention that the different chapters in the Indian Penal Code have a definite form and shape. In fact, this code has stood the tests of time and it has been very rarely found necessary to amend it. This is one of the best pieces of legislation. If I may be permitted to say so, it is framed artistically too.

One of the previous speakers referred to a particular chapter and also to some sections. Now an attempt is made to add a section 427A. Previously, some section have been added, section 124A, for example. In fact, I am referring to that section 427-A dealing with sedition. Another amendment was made to another section, dealing with class hatred. In all such amendments, the country has found that it is not at all in consonance with the ordinary notices of good jurisprudence.

For example, section 124A was one of the sections which the country as a whole held, was an amendment which ought not to have been permitted at all. Though the present amendment may not amount to such a sort of amendment, still I must say that the purpose would not be served and at the same time, the scheme of the chapter itself, will be interfered with. It may not be properly worded; in a matter like the Penal Code, wording may not be the only point, but all the same, I may be permitted to say, as I said, that is one of the best pieces of legislation and this addition would not improve it, but will make it worse. I am sorry I could not follow

the reasoning of the mover, because I am suffering from the disadvantage of not being able to follow Hindi, but one thing, I find from the statement of objects and reasons,.....

Shri Dasappa (Bangalore): The hon. Member is referring to some other Bill amending the Indian Penal Code.

Mr. Deputy-Speaker: He only referred to it by way of analogy. Some hon. Members are going faster.

Shri Achar: I am speaing only about the amendment section 427A, which is before the House now.

The hon. Mover of this amendment wants more police intervention with regard to this offence. He wants to make it a cognisable offence. I would submit, the less the police interfere with village life, the better it would be. As I said, from the point of view of form it is not good to interfere with the Penal Code as it stands. On the merits, if it is necessary, it can certainly be amended. But, the intention to give more powers to the police will not be in the interests of village life. To make the offence cognisable would give more scope for criminal litigation in the villages. From that point of view also, I feel that this amendment is not useful. I submit this amendment is unnecessary and so, I oppose it.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने के लिए हमारे मित्र ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसके पीछे जो उनकी भावना है वह तो जरूर सराहनीय है लेकिन उसके सम्बन्ध में जो उन्होंने विचार प्रकट किये विशेषकर पंचायतों के सम्बन्ध में उनसे मैं सहमत नहीं हूं। शरारत के अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा ४२५ में की गयी है और उस धारा में इस अपराध को दो भागों में बांटा गया है। अगर कोई आदमी शरारत से किसी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचावे तो उसको साधारण तौर पर तीन महीने की सजा देने की व्यवस्था की गयी है और उसके बाद धारा ४२८ में विशेष परिमाण का अपराध होने पर अधिक दंड देने की व्यवस्था की गयी है। जो संशोधन हमारे मित्र ला रहे हैं उसमें दस रुपये के अनाज की क्षति के लिए वह दो वर्ष की सजा की व्यवस्था करवाना चाहते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज जो हमारी पद्धति है उसमें जो न्याय के सिद्धान्त दिये हुए हैं वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यवहार में वह पद्धति बड़ी खर्चीली है। जिस किसान के खेत की दस रुपये की क्षति हुई हो, यदि वह अपने विरोध को दंड दिलवाना चाहे तो उसको कचहरी में जाकर इतना खर्चा करना पड़ेगा जिसका शायद माननीय सदस्य को अन्दाजा नहीं है। अगर इसको कागनिजेबल आफेंस बनाया गया तो फिर पुलिस से फेवरेबिल रिपोर्ट लिखवाने में कितना खर्चा होगा यह उनको वकील होने के कारण भली भांति मालूम होगा। इस समय मुझे एक कहावत याद आती है कि "नौ रुपये की लकड़ी और ९० रुपया खर्च"। यानी लकड़ी का दाम तो केवल ९ रुपये है पर उसको प्राप्त करने में खर्चा होता है ९० रुपये। फिर इतना खर्चा करने पर भी यह निश्चय नही है कि अपराध साबित किया जा सकेगा। तब फिर केवल अन्न बचाने के लिए मैं वह आवश्यक नहीं समझता कि भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार का संशोधन किया जाये। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे यही उद्देश्य प्रतीत होता है कि इस प्रकार की क्षति न पहुंचायी जाये और अगर कोई ऐसा करे तो उसको दंड दिया जाये। सब से पहले तो हमारा ख्याल यह है कि इस प्रकार की क्षति पहुंचाने में केवल द्वेष ही रहता है। यदि किसी व्यक्ति पर हमको क्रोध आ जाता है और हम उसको किसी दूसरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो हम जाकर उसके खेत पर आघात करते हैं। इस

[श्री श्रीनारायण दास]

प्रकार का अपराध करने की भावना का कारण क्रोध हो, या दुर्वेष हो या ईर्ष्या हो या कोई नाजायज नफा प्राप्त करना हो । परन्तु में समझता हूं कि अधिकतर इस प्रकार के अपराध क्रोध के कारण ही किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसी भावना को ध्यान में रखकर हमारे दंड विधान में इस तरह के अपराध के प्रमाणित हो जाने पर तीन महीने की सजा की व्यवस्था की गयी है। अगर कोई आवेश में आकर किसी का दस रुपये का नुकसान करता है तो जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार वह अपराध ऐसा नहीं है कि जिसके लिए किसी को दो वर्ष की कैद की सजा दी जाये और उसको दो वर्ष तक जेल में रहना पड़े ।

श्री रघुनाथ सिंह : दस वर्ष तक की सजा होती है ।

श्री श्रीनारायण दास : उसमें यह देखा जाता है कि इस अपराध के करने वाले का उद्देश्य क्या था इस लिए में कहूंगा कि इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है । और फिर पुलिस के सम्बन्ध मे मुझे यह कहना है कि वह हमारे देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए है। हमारे बहुत से पुलिस के भाई अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अगर वह न रहें तो देश में अमन और चैन न रहे। लेकिन साथ ही साथ हमको अपने अनुभव के आधार पर यह कहना पडता है कि इस तरह का अपराध पुलिस के हाथ में हथकंडा बन जाता है । मैं यह भी कहूंगा कि आजकल गावों में जो धनी आदमी हे वे भी गरीब लोगो को सताने के लिए इस प्रकार के अपराधों का लाभ उठा सकते हे। अगर कोई गरीब आदमी उनके दबाव में नही आता है तो वे किसी एक एकड के खेत को कटवा देंगे और जो आदमी उनके दबाव में नही आता है उसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करवा देंगे। अब उस गरीब भाई की हालत क्या होगी यह आप समझ सकते हैं। वह दिन भर काम करके रात को अपने खाने का प्रबन्ध करता है । यदि उसको चार दफा भी इस सम्बन्ध मे कचहरी बुलाया गया तो वह तो तबाह हो जायेगा और मजबूर होकर दूसरी पार्टी के पैरों पर गिरेगा और कहेगा कि किसी तरह से समझौता कर लिया जाये। मैं समझता हूं कि भारतीय दंड संहिता में धारा ४२५ से धारा ४४० तक जो क्रमिक रूप से दंड का विधान दिया गया है वह बहुत अच्छे सिद्धान्त पर आधारित है । और चाहे अन्न की क्षति हो या किसी और प्रकार की क्षति हो यदि वह क्रोध या जोश में की गयी हो तो उसके लिए जो दंड की व्यवस्था की गयी है वह उचित ही है। और उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है, खासकर ऐसी अवस्था में जब कि हमारी पुलिस वैसी नही है जैसी की हम चाहते हैं । मैं समझता हू कि एक नया काग्निजेबिल आफेंस बढाना ठीक नही होगा । मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य धारा ४२७ में ५० रुपये के बदले १० रुपये कर देने का संशोधन करा दे तो जो वह चाहते हैं वह हो जायगा।

मेरे भाई ने स [illegible] उद्देश्य से पेश किया है पर इ[illegible] अव्यावहारिकता को देखते हुए मुझे दुःख साथ इस का विरोध करना पड़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि वह इस को वापस ले लेंगे ।

इसके साथ ही जो कुछ उन्होंने पचायतों के स[म्ब]न्ध में कहा है उस के बारे में भी मैं कुछ कह देना चाहता हू। हो सकता है कि पंचायतों में कुछ कमी हो लेकिन उन में निर्णय बहुत जल्दी होता है और खर्चीला नहीं होता। इस कारण किसी भी पार्टी को पंचायत का न्याय अखरता नही । हो सकता है कि पंच उतने कानून के जानने वाले न हों और यह भी हो सकता है कि उन मे उतने दर्जे की निष्पक्षता भी न हो जिस को कि हम किसी न्याय करने वाले से अपेक्षा कर सकते है । फिर भी जो न्याय होता है वह जल्द होता है और उस में खर्चा नही होता । इसलिये मेरा कहना है कि यदि पंचायतों में कोई त्रुटि है तो उस को सुधारा जाये लेकिन पंचायत

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

के हाथ से अधिकार को छीन कर पुलिस के हाथ में देना जिस के कारण न्याय पाने वालों को अपने गांव से दस, १५ या २५ मील दूर जाना पड़े मेरी समझ में उचित नहीं होगा। मेरे विचार से दंड विधान के बनाने वाले ने अपराध का अनुमान कर के जो दंड की व्यवस्था रखी है वह ठीक ही है और अच्छी है।

17 hrs.

Shri Easwara Iyer (Trivandrum): I am constrained to oppose this Bill on the ground that so far as the need for amending a statute is concerned, it has to be decided in the light of the expediency or the situation.

Looking at the Bill, one may be tempted to say the Mover being under an apprehension that at present there are miscreants or vagabonds running round the State destroying crops and, therefore, it is in the interest of the State and of the agriculturist that some amendment of the Penal Code is found necessary.

Looking at section 427 of the IPC, it is exactly the same as the proposed amendment—427A—but for this difference that in section 427A the limit is fixed at Rs. 10 whereas in section 427 it is fixed at Rs. 50. Though the words 'agricultural crops' do not appear in section 427, the section is wide enough to include within its ambit any property including agricultural property. To me it appears that there is no magic in fixing a particular limit regarding value of property either as Rs. 10 or as Rs. 50, unless of course the Mover is able to show that there is some rational basis for fixing it at Rs. 10. It could be Re. 1 or Re. 1/2 or even Rs. 50. The test that has to be applied so far as the proposed amendment is concerned is whether the need of the society at present is satisfied with the existing provision of law in the IPC. My respectful submission is that there is ample provision there, graver offences could be punished by much severer sentences found in the later sections. I suppose when the Mover comes forward with such a Bill, one is tempted to think that a certain amount of alarmist tendency or an anxiety neurosis is in him at least in favour of agricultural landlords.

I need not go into the motives for introducing the Bill. Of course, the Mover may have very good intentions. But we know what the police are. To put wider powers into their hands, not that I am saying that the police are all persons out to get at the villagers or harass any person, but to give a giant's power in the hands of the police and to allow them to go about picking persons on the ground that they have committed mischief and damaged property of trivial value, is something with which we cannot see eye to eye.

By the proposed amendment, the hon. Member in charge of the Bill may think that any person who has suffered damage of Rs. 10 with respect to his agricultural commodities may at once run to the police and get their aid and bring the miscreants to book. For all practical purposes, whether it is Rs. 10 or Rs. 50 or Rs. 100, it is really a difficult affair to go to the police and get their aid, particularly when a private complaint is taken to them. That has been our experience. I am not criticising police officers, but my respectful submission is that once this Bill becomes law, every person who is residing near the property, where the crop is grown, will be harassed by the landowners on the ground that he has committed mischief to property. There will be a number of complaints and the man will have no other time except to go to the magistrates court on private complaints made by the landowners.

There is yet another aspect of this matter that has to be looked into. In so far as our State is concerned, we have got a law there so far as the eviction of *kudiyiruppu* tenants are concerned, this will be a very convenient weapon in the hands of any

[Shri Easwara Iyer]

landlord to start eviction proceedings, to get recalcitrant tenants out of the property by the backdoor methods of filing a complaint against them saying that they have committed mischief and somehow or other getting pleasant with the police officers

My submission so far as this Bill is concerned is that there is absolutely no necessity or expediency for amending the Indian Penal Code, particularly when there is section 427 I would say that this seems to be a case of Much Ado About Nothing

The Deputy Minister of Food (Shri M. V. Krishnappa): Sir, the way Member after Member replied to the points and doubts raised by the mover, Shri Raghunath Singh, makes me feel that there is no need to reply to his points because every point has been replied by our friends already I sympathise with Shri Raghunath Singh and thank him for the sympathy he has towards the cultivator and the peasant who is working to increase production in the country

But, we have not received any report—as Shri V P Nayar rightly asked him in the beginning—that this mischief is on the increase in any State Apart from that, as a practical agriculturist coming from a village, I would like to bring to the notice of the hon Member, Shri Raghunath Singh that there are three enemies of our agriculturists The first is the monkeys who do a lot of mischief and spoil the crops Secondly, stray cattle, and thirdly, the tout of the village The touts, the mischief-mongers in the village who have no other work to do will be searching for some plea or other to drag these innocent agriculturists to the court and thereby make a living If we amend the law, it is going to strengthen the hands of the third type of enemies of the agriculturists in the village.

In this period of transition, when the poor agriculturists are being harassed, this amendment would strengthen the hands of touts and vested interests in harassing the agriculturists I feel that the existing provision of law covers the mischief which my hon. friend has in mind and there is no necessity to amend the law and I oppose this Bill and would request Shri Raghunath Singh to withdraw it

Mr. Deputy-Speaker: The hon Minister

Shri V. P. Nayar *rose*—

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): If Shri Nayar wants to speak I shall reply afterwards

Mr. Deputy-Speaker: No

Shri Datar: Mr Deputy-Speaker, Sir, the hon mover of this Bill must have seen by now that in spite of his very eloquent appeal he has not succeeded in persuading even one Member of this hon House to his view That shows that there is no need for the enactment of this particular section in the Indian Penal Code

In the Statement of Objects and Reasons as also in his speech, he made a reference to two points One was that there was a need for increased agricultural production That is admitted by all The question is whether, as he has stated in the Statement of Objects and Reasons, recently there has been a greater need for protection in the sense that there has been greater spoliation or damage to crops I looked into this subject so far as this offence was concerned I looked into certain reports of the Criminal Administration of Justice in different States for certain years and I did not come across any increase so far as offences under 'mischief' were concerned

An Hon. Member: They deal only with convictions, not with complaints

Shri Datar: So far as these reports are concerned, we have got tabular statements regarding commission of offences under different heads and I

found that so far as the offence of 'mischief' was concerned, there has been no appreciable increase at all; much less any particular increase so far as damage to crops is concerned. Under these circumstances the question that arises is whether the laudable object that he has in view can be served by adding a provision to the penal law of the land.

A number of hon. Members have rightly pointed out the dangers of such additional or hasty enactment. After all we have to be extremely careful, especially when we are dealing with the Penal Code or with the addition of more penal offences. There are certain dangers or risks involved in it and as my hon. friend pointed out here we have got a piece of legislation, the Indian Penal Code, which is not only artistically drawn up but which is also exhaustively drawn up. All the possible offences that a man can commit have been very fully dealt with and that is why the Indian Penal Code is one of those pieces of enactments which has received only a few amendments during the last century.

So far as the Chapter on 'Mischief' is concerned, it has been so well drafted that all that is necessary so far as the prevention of offences of mischief is concerned has been properly put in there and we have got sections where aggravated forms of this offence have been very clearly dealt with.

My hon. friend the Mover pointed out certain circumstances and he contented with some possibility that in the case of destruction of animals there are certain sections which treat it as an aggravated offence. Why should not the same consideration be shown so far as crops are concerned? You will find from the nature of the society that we have, from the nature of offences that are being committed, these particular safeguards or additional offences were necessary in respect of certain types of property like cattle wealth, irrigation works, etc., but even then when the Act was passed long long ago no need was felt for the special protection of crops. Crops were included in the general term property. Therefore, when there are certain sections where damage is done to one's crops, natural recourse can be had to the provisions of the Indian Penal Code instead of enlarging these provisions on the lines pointed out by my hon. friend.

My hon. friend's approach, with due deference to him, is rather theoretical and necessarily unrealistic. Let him consider what would be the effects as some hon. Members have pointed out. It will not help or fulfil the object that he has in view. On the other hand it would be creating a new offence and it is quite likely as some hon. Members have pointed out these powers might be abused. Now he contended that this offence should also be a cognizable offence. A number of hon. Members have pointed out what they consider as dangerous so far as increase in the powers of the police are concerned.

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. Minister agree with that view?

Shri Datar: I have said: "What they consider". I am particular about this expression 'What they consider'.

An Hon. Member: We are concerned with what you consider.

Shri Datar: So far as I am concerned, there is no need to fear. What will happen? Some hon. Members here would come round and complain that these provisions are being abused and exploited for the purpose of harassing the poor agriculturists or the tenants. That danger is there—the danger of opposition not the danger of abuse by the police. Let this be clearly understood.

The hon. Member has done some injustice to the panchayats that are working here and there—particularly the *adalat* panchayats. It is one of the Directive Principles of our Constitution that the institution of

[Shri Datar]

panchayats should be fully revived and has to be made use of even in the administration of justice. I know of at least one State—the State from which the hon. Member comes—the Uttar Pradesh, where we have got these judicial panchayats working very well. That is the report and I am extremely sorry that the hon. Member was so unfair and unjust about the new institution which we do desire to start again and which, I am confident, will so work in the next few years that ultimately we shall have a pattern of panchayats, including judicial panchayats, which would be working well and reducing litigations and also the cost of litigations to which my hon. friend referred.

It is quite likely that in some villages where there are factions these powers might be abused or might have been abused. But, on the whole the experiment in one of our major States has been fairly successful and therefore, I would implore the hon. Member and others also to watch this new experiment with sympathy and not to deprecate it at the present stage. Therefore, the hon. Member will kindly understand that there is no need for this particular offence.

As Shri Sinhasan Singh rightly pointed out, wherever there has been co-operation between the parties in the villages and where the executive side of the panchayats has been working well, there has been less of destruction or cutting of the crops and only where there are village factions, these things happen. So, we should not have a new enactment, especially a penal provision, unless it is absolutely essential. As my hon. friend from the Ministry of Food and Agriculture pointed out, there is absolutely no need for this so far as the protection or increase in the production of food crops is concerned. Unless this particular evil has increased beyond all proportions, it would not be proper to undertake any legislation, especially of the hasty type that the hon. Member has brought forward here.

Secondly, the House will also understand that in this matter, we have to consult the State Governments. In case any such provision has been added in the Indian Penal Code, the State Governments will have to take cognisance of this offence and they will have to consider it. Wherever there is a proposal to amend the criminal law, we always consult the State Governments. It is a concurrent subject and we have always followed a practice according to which whenever there are any proposals either before the House or elsewhere, we consult the State Governments and take their views. Only then, we take proper action. Otherwise, no action is taken at all. I might inform this hon. House that we have not received any complaints so far as destruction of crops is concerned from the State Governments. There might be a certain number of cases here and there just as there might be offences being committed in other respects. But the evil has not become so prevalent, has not become so abnormal as to necessitate the making of a special Act, and the making of the offence in that respect cognizable. That is what the hon. Member has stated in the Statement of Objects and Reasons.

We have to consider all these points, and after considering all these points the point that has to be decided is as to whether there is any need at all for this additional penal provision. In view of the fact that most of the hon. Members who have spoken have opposed this Bill, I am quite confident that this House will throw out this Bill. All the same, in view of the laudable object that my hon. friend has in view, though the remedy is misconceived, I would request him to withdraw this Bill.

Shri Sinhasan Singh: The hon. Deputy Minister of Agriculture pointed out three menaces to agriculture of which monkey is number 1. May I know whether he proposes to bring any legislation to avoid it?

Mr. Deputy-Speaker: We will discuss that at some other time.

श्री रघुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि लार्ड मैकाले की आत्मा को आज बहुत शान्ति मिली होगी । उन सब बातों से जो इस सदन में उन की प्रशंसा में कही गयी हैं । इंडियन पेनल कोड की जब रचना हुई थी, उस वक्त हिन्दुस्तान आजाद नहीं था । वे लोग इम्पीरियलिस्ट थे । हिन्दुस्तान पर हुकूमत करना ही उन का उद्देश्य था । इस कोड की जब उन्होंने रचना की तो इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए की ।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस कोड की दफा ४२५ (एच) में एक इलस्ट्रेशन है । उस में कहा गया है कि अगर कोई जानवर किसी खेत में जाकर के उस खेत का नुकसान करे तो उस के वास्ते सजा हो सकती है । लेकिन अगर कोई आदमी जा कर के खेती को काट लेता है, तो आई० पी० सी० में कहीं भी कोई सजा दिये जाने की व्यवस्था नहीं की गई है और न कोई इलस्ट्रेशन ही इस में है। इस बिल में मैंने केवल इतना ही चाहा था कि इस रुपये की क्राप के ऊपर अगर कोई किसी किस्म का नुकसान करता है, तो उस को सजा हो सकती है । केवल पचास रुपये के स्थान पर दस रुपये रखे जाने की मैंने मांग की थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मिनिस्टर साहब ने अपील की है, उस का क्या असर आप पर हुआ है ?

श्री रघुनाथ सिंह : उस अपील का असर एक मिनट के बाद होगा । मैं राधा रमण साहब को भी उन का बिल रखने का समय दे दूंगा ।

मैं यह कह रहा था कि इंडियन पीनल कोड में अगर कोई किसी की फसल को काट लेता है, तो उस को सजा देने के वास्ते कोई दफा नहीं है और यह वारेंट केस नहीं हो सकता है। ऐसे केसिस को वारेंट केसिस तथा कागनाइजेबल केसिस माने जाने का मैंने अपने बिल में अनुरोध किया था ।

मेरे भाई सिंहासन सिंह जी ने कहा है कि इस हेतु मैं दफा ४२७ में ही अगर कोई ऐमेंडमेंट पेश कर देता तो अच्छा रहता । उस दफा में ही, उन का कहना था कि ५० रुपये के स्थान पर १० रुपये करने के लिये अगर कोई एमेंडमेंट आता तो अच्छा था । मैं इस से सहमत हूं और अगली बार मैं एक नया विधेयक इस चीज को दृष्टि में रखते हुए पेश करूंगा । इस से भी जो मेरा उद्देश्य है उस की पूर्ति हो जाती है । अतः मैं अपने इस विधेयक को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को इस विधेयक को वापस लेने की आज्ञा है ?

The Bill was, by leave, withdrawn.

SADHUS AND SANYASIS (REGISTRATION) BILL

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस साधुओं तथा सन्यासियों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी बिल को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो इस समय इस सदन के सम्मुख है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में सारे भारतवर्ष के अन्दर कई प्रकार की विचारधारायें सामने आ रही हैं । शायद इस लोक सभा के पुराने माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पिछले सदन के सामने भी मैं ने इस विधेयक को रखा था और तब से लेकर अब तक भारतवर्ष के कोने कोने से बहुत से साधुओं और सन्यासियों ने मुझे पत्र लिखे हैं और उन पत्रों में अलग अलग विचार उन्होंने दर्शाये हैं । मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि आज भी हमारे देश में साधुओं